फैक्स द्वारा/महत्वपूर्ण
संख्या–1617/52-3-2013–सा(30)/13

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2013

विषयः प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1533/52–3–13–सा(30)/13, दिनांक 24–08–2013 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यों का 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए मात्राकृत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त शासनादेश में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। श्रेणी 4 के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं को निम्नवत् परिभाषित किया गया थाः–

"स्थानीय क्षेत्र विशेष के विकास हेतु ऐसी योजनाएं, जो किसी विशेष आबादी क्षेत्र/वार्ड/ग्राम/बसावट को लाभान्वित करती हैं, में समुदाय विशेष की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्यों का मात्राकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं में हैण्डपम्प की स्थापना, ऑगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, ए.एन.एम. सबसेन्टर का निर्माण, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग व अन्य ग्रामीण अवस्थापनाओं के निर्माण आदि शामिल हैं। इस हेतु यह मानक बनाया गया है कि मात्राकृत अंश से योजना ऐसे क्षेत्र में लागू की जाए जहॉ पर अल्पसंख्यक आबादी का अनुपात कम से कम 25 प्रतिशत हो।"

शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि उपर्युक्त श्रेणी 4 से अच्छादित विभिन्न शासकीय योजनाओं में कुल वित्तीय परिव्यय का कम से कम 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु व्यय किया जायेगा व इस लक्ष्य को, जहॉ

अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जनपदवार मात्राकृत किया जायेगा।

योजना के संचालन हेतु वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपदवार अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का विवरण शासन स्तर पर उपलब्ध है, जिसे सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिया गया है। किन्तु योजना के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जनपद के ग्रामों तथा नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में अल्पसंख्यक आबादी के विवरण की आवश्यकता है जो शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

अतः कृपया निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जायेः—

(अ) जनपद के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में अल्पसख्यक समुदाय की आबादी का त्वरित आंकलन (rapid estimation) ग्रामीण स्तरीय शासकीय कर्मचारियों की सहायता से कराया जाये। विकास खण्डवार दो सूचियां तैयार करायी जायें। पहली सूची ऐसे ग्रामों की बनायी जाये जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी ग्राम की कुल आबादी के 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम है। दूसरी सूची ऐसे ग्रामों की तैयार करायी जाये जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी ग्राम की कुल आबादी की 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है।

(ब) इसी प्रकार जनपद के प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के ऐसे वार्डो की भी दो सूचियां तैयार करायी जायें जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वार्ड की कुल आबादी का 25 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम है तथा जहॉ अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वार्ड की कुल आबादी की 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।

कृपया उपर्युक्त सूचियां शीर्ष प्राथमिकता पर तैयार कराकर एक सप्ताह के भीतर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव